

यूको बैंक



UCO BANK

सी आर एन/CRN
335 / 2005-06

प्रधान कार्यालय/Head Office-2 :
कार्मिक विभाग/Personnel Deptt.
3-4, डी डी ब्लॉक DD Block, 4th तल. Flr.
सेक्टर Sector-I, साल्ट लेक Salt Lake
कोलकाता Kolkata - 700 064

(भारत सरकार का उपक्रम)
सम्मान आपके विश्वास का
(A Govt. of India Undertaking)
HONOURS YOUR TRUST

परिपत्र सं० /Circular No. :
सी एच ओ/पी ए एस
CHO/PAS/13/2006
दिनांक/Date : 30.01.2006

भारत संघ में स्थित सभी शाखाओं /कार्यालयों को
To All Branches/Offices in Indian Union :

विषय : कामगार कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान
Sub : Payment of Deputation Allowance to Workmen Staff

हम 8वें द्विपक्षीय समझौता - पंचाट कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों में संशोधन पर प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सीएचओ/पीएस/04/2005 दिनांक 15.06.2005 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। अब हमें भारतीय बैंक संघ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें 8वें द्विपक्षीय समझौता दिनांक 2 जून, 2005 के फलस्वरूप 01.11.2005 से कामगार कर्मचारियों को देय प्रतिनियुक्ति भत्ते की दर में संशोधन की सूचना दी गई है।

We invite reference to Head Office Circular No. CHO/PAS/04/2005 dated 15.06.2005 on 8th Bipartite Settlement - Revision of Salary and other Service Conditions of Award Staff. We are now in receipt of a communication from Indian Banks' Association advising revision in the rate of Deputation Allowance payable to Workmen Staff with effect from 01.11.2005 consequent upon the 8th Bipartite Settlement dated 2nd June, 2005.

कामगार कर्मचारियों को देय प्रतिनियुक्ति भत्ते की संशोधित दर निम्न प्रकार से होगी -

The revised rate of Deputation Allowance payable to **WORKMEN STAFF** will be as under :

- मूल वेतन का 4% - उसी केंद्र पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/जिला उद्योग केंद्रों/ऋण वसूली ट्राइब्यूनलों में प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम 375/- रुपये प्रति माह।
4% of Basic Pay - Maximum Rs. 375/- p.m. for deputation to Regional Rural Banks/District Industries Centres/Debts Recovery Tribunals at the same station.
- मूल वेतन का 7.75% - किसी बाहरी केंद्र पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/जिला उद्योग केंद्रों/ऋण वसूली ट्राइब्यूनलों में प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम 750/- रुपये प्रति माह।
7.75% of Basic Pay - Maximum Rs. 750/- p.m. for deputation to Regional Rural Banks/District Industries Centres/Debt Recovery Tribunals at an outstation centre.

हम पुनः दुहराते हैं कि कामगार कर्मचारियों को देय प्रतिनियुक्ति भत्ते की उक्त दर 01.11.2005 से प्रभावी होगी।

We reiterate that the aforesaid rate of Deputation Allowance payable to WORKMEN STAFF will be effective from 01.11.2005.

शाखाओं/कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि भारतीय बैंक संघ के उक्त निर्णय को सावधानीपूर्वक नोट करें। 01.11.2005 से प्रभावी होने वाली संशोधित दर की बकाया राशि पात्र कर्मचारियों को प्रदान की जाए।

Branches/Offices are advised to take a careful note of the aforesaid decision of Indian Banks' Association. Arrears on account of the modified rates to be effective from 01.11.2005, may be paid to the eligible employees.

(बी. एल. सावे V. L. Save)

उप महाप्रबंधक DY. GENERAL MANAGER
(कार्मिक PERSONNEL)